न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,महवा जिला दौसा

मु0नं0: 06 / 2024

1.चिम्मन लाल पुत्र नानगा राम
2.रामकिशोर पुत्र नानगा राम } जाति मीना निवासी ठेकडा तहसील महवा जिला दौसा।
– प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महवा जिला दौसा

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज.भू राजस्व अधि.
बावत् दुरुस्ती नक्शा ट्रेश

निर्णय दिनांक: 29.01.2024

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम ठेकडा तहसील महवा जिला दौसा की आराजी खसरा नम्बर 323/876 रकबा 0.05 हैक्टर जिसकी खातेदारी चिम्मनलाल के नाम थी जिसे वर्तमान में नगरपालिका क्षेत्र में आने के कारण अपने आधिपत्य में ले लिया है एवं खसरा नम्बर 323/877 रकबा 0.06 हैक्टर की खातेदारी वर्तमान में प्रार्थी सं. 2 के नाम है। उक्त खसरा नम्बर पूर्व खसरा नम्बर 323/518 रकबा 0.11 हैक्टर से मिलकर बना है। उक्त खसरा नम्बर संवत् 2065–68 की जमाबंदी अनुसार विभाजन होने पर उसके दो नम्बर 323/518/1 रकबा 0.05 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 323/518/2 रकबा 0.06 हैक्टर कायम हुए जिसके बाद खसरा नम्बर 323/518/1 रकबा 0.05 हैक्टर का नया नम्बर 323/876 रकबा 0.05 हैक्टर प्रार्थी सं. 1 की खातेदारी में तथा दूसरा खसरा नम्बर 323/518/2 रकबा 0.06 हैक्टर का नया खसरा नम्बर 323/877 रकबा 0.06 हैक्टर प्रार्थी सं. 2 की खातेदारी आया हुआ नम्बर है। उक्त दोनों नम्बरों की जो पूर्व नक्शा ट्रेश थी उसके अनुसार वक्त तरमीम नई ट्रेश बनाते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा भारी भिन्नता कर दी। हाल नक्शा ट्रेश को पुराने नम्बरों की नक्शा शीट एवं रकबा के हिसाब से नहीं बनाकर छोटा बना दिया जिससे नक्शा ट्रेश में जमाबंदी में अंकित रकबा के अनुसार रकबा पूर्ण नहीं होता है। इसे दुरुस्त कराने हेतु तहसीलदार महवा से कहा तो उन्होंने सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आने की कहा। अतः उक्तानुसार एवं जमाबंदी में अंकित रकबा के अनुसार दुरुस्त किये जाने हेतु तरमीम किये जाने के आदेश फरमायें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण की रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया है कि उक्त दोनो खसरों में मौके पर आबादी बसी हुई है। खसरा नम्बर 323/876 का रकबा मुताबिक जमाबंदी 0.05 हैक्टर है जबकि नक्शा नक्शा ट्रेश में उक्त खसरा नम्बर का रकबा 0.03 हैक्टर है एवं इसी प्रकार ख.नं. 323/877 का रकबा मुताबिक जमाबंदी 0.06 हैक्टर है जबकि नक्शा ट्रेश के मुताबिक रकबा करीब 0.0464 हैक्टर है। भू प्रबंध नक्शा लट्ठा(तहसील कार्यालय) के मुताबिक ख.नं. 323/518 की नक्शा शीट व वर्तमान ख.नं. 323/876, 323/877 की ऑनलाईन नक्शा शीट में भिन्नता है जिसे ऑनलाईन नक्शा शीट को भू प्रबंध नक्शा शीट के अनुसार किया जाना उचित है।

हमने वकील प्रार्थी की एक पक्षीय वहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त खसरा नम्बर संवत् 2065–68 की जमाबंदी अनुसार विभाजन होने पर उसके दो नम्बर 323/518/1 रकबा 0.05 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 323/518/2 रकबा 0.06 हैक्टर कायम हुए जिसके बाद खसरा नम्बर 323/518/1 रकबा 0.05 हैक्टर का नया नम्बर 323/876 रकबा 0.05 हैक्टर प्रार्थी सं. 1 की खातेदारी में तथा दूसरा खसरा नम्बर 323/518/2 रकबा 0.06 हैक्टर का नया खसरा नम्बर 323/877 रकबा 0.06 हैक्टर प्रार्थी सं. 2 की खातेदारी आया हुआ नम्बर है। उक्त दोनों नम्बरों की जो पूर्व नक्शा ट्रेश थी उसके अनुसार वक्त तरमीम नई ट्रेश बनाते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा भिन्नता कर दी। हाल नक्शा ट्रेश को पुराने नम्बरों की नक्शा शीट एवं रकबा के हिसाब से नहीं बनाकर छोटा बना दिया जिससे नक्शा ट्रेश में जमाबंदी में अंकित रकबा के अनुसार रकबा पूर्ण नहीं होना प्रतीत होता

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

है। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ग्राम ठेकडा तहसील महवा की आराजी ख.नं. [illegible] रकबा 0.05 हैक्टर एवं 323/877 रकबा 0.06 हैक्टर के हाल खसरा नम्बर के हाल [illegible] उनके पूर्व के नम्बर 323/518 रकबा 0.11 हैक्टर के अनुसार एवं जमाबंदी में अंकित [illegible] के अनुसार तहसीलदार महवा की रिपोर्ट के आधार पर दुरुस्त किया जाना न्याय [illegible] होगा। अतः अन्तर्गत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार महवा को इस आशय की तहरीर जारी हो कि उक्त वर्णित खसरा नम्बरान के नक्शा ट्रेश हाल में तरमीम कर नक्शा ट्रेश दुरुस्त करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट महवा (दौसा)

आदेश खुले इजलाश सुनाया गया।

(लाखन सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी,
महवा, जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा